संख्या-127/2024/3072/30-3-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 16 दिसम्बर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन कार्यालयों की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1811ए/2024-37ए/2024, दिनांक 21 नवम्बर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, एटा एवं संभागीय परिवहन कार्यालय, मुरादाबाद में निम्नलिखित तालिका में अंकित कार्यों को कराये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 123.96 लाख (रू0 एक करोड़ तेईस लाख छियान्नबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	धनराशि (रू0 लाख रूपये में)
1	2	3	4	5
1.	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, एटा ।	कार्यालय भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल की रंगाई-पुताई, रेलिंग एरिया में ब्रिक वर्क, मुख्य सड़क से कार्यालय तक सी0सी0 मार्ग एवं दोनों तरफ इण्टरलॉकिंग का कार्य।	लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, एटा।	35.19
2.	संभागीय परिवहन कार्यालय, मुरादाबाद।	कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई, विद्युत व प्लम्बरिंग कार्य तथा कार्यालय परिसर की झुकी हुयी बाउण्ड्री ध्वस्त कर पुनः निर्माण एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, मुरादाबाद।	88.77
			योग =	123.96 लाख (रू0 एक करोड़ तेईस लाख छियान्नबे हजार मात्र)

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च 2024 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयों, मानक एवं गुणवता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(6) उक्त कार्यों के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण की मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-127/2024/3072(1)/30-3-2024, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - (1) लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, एटा। (2) उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, मुरादाबाद।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।